

हरिजनसेवक

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

सम्पादक : मगनभावी प्रभुवास देसाबी

भाग १७

अंक ३०

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभावी देसाबी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २६ सितम्बर, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

सत्याग्रहकी मर्यादा

सत्याग्रह करना अुचित है या नहीं, करनेवालेमें योग्यता है या नहीं, जिस वस्तुके लिये सत्याग्रह करना है वह सत्याग्रह करने लायक है या नहीं, जिसका विचार तो परिस्थितिको देखकर ही किया जा सकता है। और जब साथी मेरी सलाह मांगते हैं, तब मुझे अन्हें रास्ता दिखाना पड़ता है; और बहुत बार यह कहनेके साथ ही कि अन्हें सत्याग्रह करनेका हक है यह भी कहना पड़ता है कि अभी सत्याग्रह करनेका समय या मौका नहीं है।

जिसने रचनात्मक काम करना नहीं सीखा, अुसे सत्याग्रहका पहला पाठ भी नहीं आता, औसा कहनेमें मुझे संकोच नहीं होता। मेरी दृष्टिमें रचनात्मक काम यानी चरखा और खादी, रचनात्मक काम यानी अस्पृश्यता-निवारण, रचनात्मक काम यानी मध्यपान-निषेध, रचनात्मक काम यानी हिन्दू-मुस्लिमोंके बीच मित्रता। जो आदमी सेवाभावसे, प्रेमभावसे परिपूर्ण नहीं है, वह सत्याग्रह क्या करेगा?

लेकिन जो मेरी सलाह लेने या माननेके लिये बंधा हुआ नहीं है, अुसको यह बात लागू नहीं पड़ती। जिसके स्वभावमें अहिंसा है, जो स्वभावसे सत्याग्रही है, जिसके रोम-रोममें सत्य व्याप्त है, जो सेवाकी मूर्ति है, वह जगद्-वंद्य है। अुसे मेरी सलाह लेनेकी कोशी जरूरत नहीं, और यह कहनेकी भी जरूरत नहीं कि अुसे अपनी विच्छिके अनुसार सत्याग्रह करनेका अधिकार है।

लेकिन जो क्रोधसे, घमंडसे भरे हैं, जिनमें अहंभाव काफी मात्रामें है और आवेशके कारण जो सही-गलतका निर्णय नहीं कर पाते, अुनसे मैं जरूर कहूँगा कि 'धीरज रखो। अनजानमें भी बिना सोचे-विचारे कोशी कदम अुठाओगे, तो अुसका नतीजा कड़वा ही आयेगा। अितना ही नहीं, अभी जी थोड़ी-बहुत मर्यादा पाली जाती होगी, वह भी आगे जाकर टूट जायगी और अुस समय भविष्यकी प्रजां नामके सत्याग्रहके त्राससे पीड़ित होगी, वह हमें शाप देगी और सत्याग्रहकी फजीहत होगी। अिसलिये हर विचारशील मनुष्यको सत्याग्रहकी मर्यादा जान लेनी चाहिये। अथवा सत्याग्रहका नाम मत ले और जो मर्जीमें आवे करो। दुनिया तुम्हें पहचानेगी। लेकिन सत्याग्रहके नाम पर होनेवाले किन्तु अुसे शोभा न देनेवाले कामोंसे दुनिया भी व्याकुल होगी, परेशान होगी और अुसे अपनी दिशा नहीं सूझेगी।'

(नवजीवन, ५ जुलाई, १९३१)

अगर सत्याग्रही धीरज रखे तो औसा बेक भी अन्याय नहीं, जिसका अुसके पास विलाज न हो। अितना याद रखना चाहिये कि जिस पर अन्याय होता है अुसमें यदि विलकुल शक्ति न हो, तो सत्याग्रहमें अिस शक्तिके बिना वह अन्यायका सामना करनेका

साधन नहीं बन सकता। यह सत्याग्रहकी मर्यादा है। सत्याग्रहका काम पदार्थपाठ देकर दुःखीको दुःखसे मुक्त होनेके लिये तैयार करना है। जब तक वह तैयार न हो, तब तक सत्याग्रहीको धीरज रखना चाहिये। अिसमें अगर सत्याग्रहकी मर्यादा है, तो अुसकी खूबी भी है। अिसलिये सत्याग्रही किसीका बड़ील या पालक नहीं बनता। वह दुःखीके साथ दुःख भोगकर अुसका साथी बनता है, हिस्सेदार बनता है।

जहां-जहां अनीति और अन्याय देखो, वहां-वहां आक्रमण करनेके लिये तुम बंधे हुए हो औसा मत मानो। बल्कि चुपचाप रचनात्मक काम करके योग्यता प्राप्त करो। लड़ाबीको खोजने मत जाओ। लेकिन जब वह तुम्हारे सामने आ जाय, तो अुसका स्वागत करो। (नवजीवन, १९ जुलाई, १९३१) मो० क० गांधी (गुजरातीसे)

हिन्दू समाजको चेतावनी

अखबारोंमें यह समाचार आया है कि श्री विनोबा और अनकी मंडलीके लोग कुछ हरिजनोंके साथ बिहारमें देवघरके श्रीबैजनाथ ज्योतिर्लिंगके दर्शन करने जा रहे थे, अुस समय मंदिरके दरवाजे पर कुछ पंडे अुन पर टूट पड़े और अन्हें मारा। औसा मालूम होता है अुनमें दो-तीन बहनोंको भी मारा गया। श्री विनोबा पर भी हाथ अुठाया गया था। पटनासे अुनके मंत्री श्री दामोदरदास मूदडाका तार आया है, जिसमें वे लिखते हैं:

"अीश्वरकी कृपासे अेक बड़ा संकट टल गया। कुसुमताजी देशपांडे पर हमला हुआ, लेकिन अब वे ठीक हैं। नंदकिशोर शर्मा और चंद्रेश्वरजी हरिजनको गहरी चोट आंखी है, लेकिन चिन्ताका कारण नहीं है।"

यह समाचार पढ़कर हरअेक भारतवासीको और सास करके हरअेक हिन्दूको शर्मसे सिर झुकाने जैसा लगेगा। हरिजनोंके मंदिर-प्रवेशको कोशी प्रसन्न करे या न करे, फिर भी मजहबी पागलपनकी कोशी हृद तो होनी ही चाहिये। वर्ना नागरिक और जंगलीमें कोशी भेद ही नहीं रह जायगा। बैजनाथका मंदिर हिन्दूओंके मुख्य देवस्थानोंमें से अेक है। श्री विनोबा जैसे भक्त और साधु पुरुष अुसके दर्शनके लिये जायं और साथमें हरिजनोंको ले जायं, यह आज सन् १९५३ में भी अितना बड़ा अपराध माना जाता है कि पंडे अपने आपेमें न रहें? यह तो निरी गुंडेबाजी ही कही जायगी; अिसमें धर्मकी कोशी बात ही नहीं है। सज्जनता भी नहीं है।

और पंडोंका यह व्यवहार तो सारे राष्ट्रके प्रति महान् अपराध है। आज स्वराज कायम हो जाने पर भी पंडे अिस चीजको समझ नहीं पाये, यह बताता है कि अस्पृश्यताकी जड़ कितनी गहरी जमी हुअी है। अिस घटनासे, सास करके बिहारकी हिन्दू जनताकी आख खुलनी चाहिये। मंदिरमें जानेवाले लोगोंको हरिजनोंके बिना अुसमें प्रवेश न करनेका ब्रत लैना चाहिये। औसा

कल्से से पंडोंकी रोजी छिन जाय और बेकारी बढ़े तो भले बढ़े। लेकिन विस तरह की दुर्जनताका तो अब अन्त आना ही चाहिये। पढ़े और अनुके जैसे विचारवाले दूसरे लोग विस बातको समझ लें कि अनुकी लकड़ियों व गैरकी मार सच पूछा जाय तो मंदिरके भगवान पर ही पड़ी है। क्योंकि यह हमला धर्म और श्रीश्वरकी सच्ची भावना पर ही हुआ कहा जायगा।

विदेशके लोग यह समाचार पढ़कर क्या कहेंगे? क्या सोचेंगे? गोहे लोग अगर अपने देशमें हमें न घुसने दें, तो अनुकी यह भावना हमारे सनातनी हिन्दुओंसे किसी रूपमें कम मानी जायगी? हिन्दु मंदिरोंके रक्षक बन बैठनेवाले वर्ग सच्चे धर्मको समझें और अनुस अपना धंधा न बना लें। क्योंकि अब राज बदल गया है; जमाना बदल गया है। अनुहं यह भान होना चाहिये कि अनुकी अंसी करतूतें केवल नास्तिकताको ही बढ़ायेंगी।

विसे कोई कोघकी वाणी न मानें; अेक हिन्दूके दुःखी हृदयके अद्विग्न यह जरूर है। यह सब देखकर मनमें विचार आता है कि विससे शर्मन्दा होना चाहिये या गुस्सा होना चाहिये? हम श्रीश्वरसे अितना ही मांगें कि, हे दयानिधि, तेरे दास और रक्षक कहे जानेवाले विन लोगोंको सच्ची समझ दे और हम पर व अन पर तेरी दयाका अमृत बरसा।

हिन्दू समाज विस घटनाको श्रीश्वरकी दी हुबी चेतावनी माने-और समझे कि आज वह कहाँ है।

२१-९-'५३

मगनभाऊ देसाऊ

(गुजरातीसे)

खादीका अपयोग — अेक राष्ट्रीय कर्तव्य

[२९ अगस्त, १९५३ के दिन राष्ट्रपतिजीके आदेशसे केन्द्रीय सरकारके मंत्रियों और अन्य अधिकारियोंकी राष्ट्रपति-भवनमें जो बैठक बुलाई गयी थी, अनुसमें अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डके अध्यक्ष श्री वैकुण्ठलाल महेता द्वारा दिये गये वक्तव्यमें से नीचे के भाग लिये गये हैं।]

आज हमारी कल्पनाके अनुसार खादीका मुख्य काम यह है कि वह ग्रामवासियोंको पूरा काम दे। देशका भविष्य जिन लोगोंके हाथमें है, वे आज दिनोंदिन बढ़ रही बेकारीसे जितने चिन्तित हैं, अनुने दूसरी किसी समस्यासे नहीं। चूंकि हममें से ज्यादातर विद्युत लोग कर्मों और शहरोंमें रहते हैं, विसलिए वहांके विद्युतीमें बेकारीका जो दर्शन होता है, वही हमारी चिन्ताका विषय बन गया है। लेकिन विससे भी विकट समस्या तो हमारे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रोंकी स्थायी बेकारी और अर्ध-बेकारीकी है।

हमारी पंचवर्षीय योजनाका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रोंमें फैली हुबी बेकारीको कम करना और देशकी औसत आमदनीके स्तरको अूचा अठाना है, हालांकि यह धीरे-धीरे ही हो सकेगा। पंचवर्षीय योजना दो दिशाओंमें काम करके यह ध्येय सिद्ध करना चाहती है। पहली दिशा है लोगोंको जमीन पर ज्यादा काम पाने और ज्यादा आमदनी करनेके मीके देना। लेकिन अगर मैं कार्यक्रमके विस पहलूकी चर्चा करंगा, तो हम आजकी विस बैठकके अद्वेश्यसे बाहर चले जायंगे। हमारा संबंध कार्यक्रमके दूसरे पहलूसे है—यानी गांवोंमें अनुकूल सहायक धंधे खोलकर और ग्रामोद्योगोंको पुनर्जीवन देकर तथा अनुका पुनर्गठन करके अत्यादक कामके मीके बढ़ाना और विस तरह जमीन पर आबादीका बोझ कर्म करना। गांवोंमें मिलनेवाले कच्चे मालको स्थानीय मजदूरोंकी मददसे शुद्ध रूप देनेका प्रबंध किया जाय और सादे अंजारों, यंत्रों और प्रद्वितीयोंसे रोजमरकि अपयोगकी चीजें बनानेकी व्यवस्था की जाय, तो सारे राष्ट्रकी अत्यादक शक्ति और क्षमताका ज्यादा

अच्छा अपयोग किया जा सकता है और साथ ही गांवोंके लोगोंको अनियंत्रित रूपसे शहरोंमें जाकर बसनेसे रोका जा सकता है, जो अनेक समस्याओंको जन्म देता है, जिनमें शहरी लोगोंकी बेकारीकी समस्या कोभी छोटी-मोटी समस्या नहीं है।

ग्रामोद्योगोंमें कपड़ेके अत्यादनका मुख्य स्थान है। यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि भोजन और मकानके बाद मानवकी सबसे बड़ी जरूरतकी चीज कपड़ा ही है। कपड़ेका अत्यादन हमारे प्राचीन अद्योगोंमें सबसे पुराना अद्योग था। हमारे यहाँ जो विविध प्रकारका कपड़ा बनता था, अनुने भाप और विजलीसे चलनेवाली मशीनोंके युगसे पहले दूर दूरके देशोंमें बड़ी प्रसिद्धि पायी थी। विस अद्योगका केस और क्यों नाश हुआ, यह हमारे आर्थिक वित्तिहासका एक पहलू है, जिसकी आज हमें चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजके जमानेमें भी अत्यन्त कार्यक्षम और संगठित मिल-अद्योगके बनिस्वत विस अद्योगमें ज्यादा लोगोंको काम मिलता है। हमारे देशका हाथ-करवा अद्योग, जो बड़ी संख्यामें लोगोंको रोजी देता है, आज दयनीय हालतमें मुख्यतः विसी कारणसे है कि अनुस अपने बुनियादी कच्चे माल—सूत—की पूर्तिके लिये अपनी प्रतियोगी कपड़ा-मिलों पर निर्भर रहना पड़ता है। लगभग आजसे पैंतीस वर्ष पूर्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीने हाथ-कताबी अद्योगको फिरसे जिलाने और संगठित करनेका काम पहले-पहल अपने हाथमें लिया, अनुसके पहले यह अद्योग मूत्रप्राय अवस्थामें ही था।

पुराने समयमें हाथ-कताबी अद्योग ही अन सुन्दर वस्त्रोंके लिये कच्चा माल मुहूर्या करता था, जिनके लिये हमारे बुनकर सारी दुनियामें मशहूर थे। गांधीजी यह देखनेके लिये बड़े अत्युक्त थे कि हमारा यह अद्योग स्वतंत्र भारतमें फिरसे वैसी ही कीर्ति प्राप्त करे। अगर हम फिलहाल विस कार्यक्रमके आर्थिक मूल्य तक ही अपनी दृष्टिको सीमित रखें, तो हमें विसमें अपार संभावनायें दिखायी देती हैं। जैसा कि बन्दी-सरकार द्वारा नियुक्त की गयी अेक कमेटीने १५ साल पहले कहा था, “टेक्निकल ज्ञानकी हमारी वर्तमान स्थितिमें और जिन लोगोंके लिये सहायक धंधा खोलनेकी जरूरत है अनुकी भारी संख्याको देखते हुये भारतीय किसानोंके लिये हाथ-कताबी अद्योग अत्यन्त अनुकूल सहायक धंधा है। अनुसके लिये बहुत ही थोड़ी पूंजीकी जरूरत होती है, वह आसानीसे सीखा जा सकता है, किसानकी सुविधानुसार वह अपनाया जा सकता है और छोड़ भी जा सकता है और गांवोंकी सदियों पुरानी परंपराओंसे अनुसका मेल भी बैठता है।” में मानता हूँ कि विसी खाद्यलसे योजना-कमीशन खादी और दूसरे ग्रामोद्योगोंको हमारे ग्रामविकासके कार्यक्रममें केन्द्रीय स्थान देनेको तैयार हुआ है।

अेक समस्या — जो शायद सबसे कठिन है — रह जाती है। वह है विस कार्यक्रमके फलस्वरूप खादीके ज्यादा बढ़े हुये अत्यादनको बाजारमें बेचनेकी। खादी बोर्ड अत्यादनमें जो कुछ सुधार करना चाहता है और व्यवस्था-संबंधी जो भी मदद वह देगा, अनुस सबके कारण खादीकी कीमत घटेगी; लेकिन वह अितनी ज्यादा नहीं होगी कि खादीका कपड़ा मिलके कपड़ेसे टक्कर ले सके। केन्द्रीय सरकारी मंजूरीसे बोर्डने ग्राहकोंको भावमें जो रियायत देना स्वीकार किया है, वह अत्यादन, व्यवस्था वगैराके खर्चका बोझ राज्य पर डालती है। यहाँ में विस बात पर ज्ञार देना चाहूँगा कि ये खर्च बोर्ड बहुत ही कम खेनेकी कोशिश करता है। फिर भी दोनों कीमतोंके बीच फर्क तो रहेगा ही। विस फर्कों राज्य या ग्राहक हमारी सबसे पुरानी दस्तकारीको टिकाये रखनेके लिये दी गयी मदद और ग्रामीण समाज या पाकिस्तानसे निराश्रित बनकर भारतमें आये हुये देशबंधुओंके

दृश्य और अदृश्य दुःखोंको कम करनेके लिये दी गयी मददके रूपमें मान लें।

आर्थिक दृष्टिसे शक्तिशाली देशोंमें, राज्य 'डोल' की पद्धति निकाल कर या सामाजिक सुरक्षाके लिये दूसरे रूपोंमें पैसा देकर बेकारी या अर्ध-बेकारीके दुःखोंको कम करनेकी जिम्मेदारी अपने सिर लेता है। लेकिन 'डोल' की पद्धतिसे 'कहीं ज्यादा' पसन्द करने लायक अपाय किसी न किसी तरहके सावें अुत्पादक कामके बदलेमें मजदूरी देना होगा। खादीके कामको फैलाकर हम यही करना चाहते हैं। अिससे खादीका अुत्पादन बढ़ेगा। जिन सिद्धान्तों पर यह आन्दोलन संगठित किया जा रहा है, वे यथासंभव स्वावलंबनके आधार पर खादी अुत्पन्न करने पर जोर देते हैं, ताकि अुसे बेचनेके लिये बाहर बाजार खोजनेकी जरूरत न रह जाय। हमारी राष्ट्रीय सरकारने खादी-अुत्पादनके कामको संगठित करने और आर्थिक मदद पहुंचानेके लिये बोर्डको धन देकर और अपनी जरूरतोंके लिये सुविधानुसार ज्यादासे ज्यादा खादी खरीदकर राहत और पुनर्निर्माणके अिस कार्यक्रमको सफल बनानेकी जिम्मेदारी अपने सिर ली है। अुसने खादीकी विक्रीके लिये गोदाम रखने और दुकानें खोलनेमें मदद देना भी स्वीकार कर लिया है। बाकी बचा हुआ काम ग्राहकोंकी जिम्मेदारी है।

खादी बोर्ड, भारतके राष्ट्रपतिके ओशीर्वादके साथ, आगामी गांधी-जयन्तीके अवसर पर आम लोगोंसे अपील करना चाहता है। आज बोर्ड लोगोंके अैसे चुने हुये दलसे अपील करता है, जो हमारी रायमें खादीको ज्ञान और समझपूर्वक अपनाकर बाकीके समाजको रास्ता बता सकता है। अिस बैठकमें जो शासक और अधिकारी वर्ग अुपस्थित हैं, वे आम लोगोंके बनिस्वत पंचवर्षीय योजनाके सामाजिक, और आर्थिक महत्वको तथा अुसे सफल बनानेके लिये हममें से हरअेक पर आये हुये फर्जको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसा कि मैं समझता हूँ, बड़े पैमाने पर लोगोंको काम देनेके लिये खादीका अुत्पादन बढ़ाना पंचवर्षीय योजनाका एक अभिन्न अंग है। योजनाके अिस भागको आगे बढ़ानेका एक सबसे अच्छा रास्ता अिस बातका निश्चय कर लेना है कि अिस तरह जो खादी पैदा होगी, वह समाजके अनु लोगों द्वारा खरीद ली जायगी, जो विवेकशील ग्राहक हैं और आवश्यक क्य-शक्ति रखते हैं। दूसरे विश्वयुद्धके दिनोंमें तत्कालीन सरकारने देशके सब लोगोंसे, जिनमें शासन-तंत्रसे संबंधित लोग भी शामिल थे, अपील की थी कि वे पैसेसे सरकारकी मदद करें, ताकि वह युद्धके साधन मुह्या कर सके। आज हमारी सरकारने गरीबी और बेकारीके खिलाफ युद्ध छेड़ा है। खादी अिस युद्धको एक अंग है, जिसकी सफलताके लिये अपनेसे संबंध रखनेवाले सब लोगोंसे सरकार यह अपील कर सकती है कि वे खादीको अपनाकर और आगेसे राष्ट्रीय कर्तव्यके रूपमें अुसे खरीदकर, अिस युद्धके साधन मुह्या करनेमें अुसकी मदद करें।

(अंग्रेजीसे)

**भूदान-यज्ञ
विनोदा भावे**

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-६-०

रचनात्मक कार्यक्रम

[दूसरा संस्करण]

लेखक: गांधीजी

अनु० कशिनाथ चिंघेडी

कीमत ०-६-०

डाकखर्च ०-२-०

गरीबी और मौज-शीक

मुझे लगता है कि हमारा धनिक और शिक्षित वर्ग मौज और शौकीकी वस्तुओं पर जो अपव्यय करता है, वह भी हमारी गरीब जनताके बढ़ते हुये असंतोषका अेक बड़ा कारण है। टॉल्स्टॉयने कहीं कहा है कि आदमीकी आवश्यकताकी पूर्ति तो हो सकती है, क्योंकि आवश्यकताकी अेक सीमा होती है; पर शौकीकी कोअी सीमा नहीं होती। गांधीजी कहते थे कि पानीका भी अपव्यय नहीं होना चाहिये, और नमकका कण भी जरूरतसे ज्यादा न लिया जाय। आज कितने लोग हैं, जो गांधीजीकी अिस शिक्षाका पालन करते हैं और गरीबोंका ख्याल रखते हैं? परिस्थिति यह है कि अेक और धनिक और शिक्षित वर्ग सुख-भोगमें रत हैं, तो दूसरी ओर हमारे लाखों-करोड़ों देश-भाषी भूखे पेट जिन्दगी बसर कर रहे हैं। गांधीजी तो 'सादा जीवन और अुच्च विचार' के हिमायती थे और अक्सर कहते थे कि अनुहं अैसी सुविधा या अधिकार नहीं चाहिये, जो गरीबोंका न मिल सकता हो।

पश्चिममें हिंसा और भौतिक सुखवादकी प्रवृत्ति अवश्य है, लेकिन हम अिस बातसे जिनकार नहीं कर सकते कि अपनी जनताके लिये अन्न और वस्त्रकी व्यवस्था करनेमें वे हमसे आगे हैं। अनुका दृष्टिकोण अुदार है और पड़ोसियोंके लिये, अपने देशवासियोंके लिये अनुमें दया और प्रेमका भाव है। हम तो अपनी वैयक्तिक मुक्तिमें ही संतोष मानते हैं। अनुमें राष्ट्रीय अेकताका भाव है, जब कि हम जाति और सम्प्रदायके भेदोंमें भिजरे हुये हैं। वे अपनी मौजूदा सफलताओंकी बात करते हैं, जब कि हम अपनी भूतकालीन संस्कृति और वैभवका ही गौरव गाते हैं।

अिसका यह अर्थ नहीं कि हम पश्चिमी लोगोंकी हर बातमें नकल करने लगें। वे लोग हमारे यहां बीड़ी-सिगरेट, शाराब, जुआ, अश्लील चित्रों और साहित्यके जरिये कामवृत्तिका सेवन, विविध फैशनोंका अनुसरण और परिणामस्वरूप-आवश्यकताओंकी वृद्धि आदि अनेक बुरायियां लाये हैं, जिनके कारण हमारे समाजका अनेक तरहसे अंपकार हो रहा है। विलासवृत्तिके सेवनकी आदत आसानीसे लग जाती है, पर अुसका छोड़ना कठिन होता है। किसी कहावतमें बताया गया है कि भोगविलास और आलस्यने ही दुनियासे सारे सद्गुणोंका लोप कर दिया है। हमारे देशके कल्याणकी तत्त्वतक कोअी आशा नहीं, जब तक हम मौज-शौकीकी आदतोंको छोड़कर सीति और सादगीका जीवन नहीं अपनाते, तथा अपने दुखी भाइयोंकी स्वेच्छापूर्वक सहायता करना नहीं सीखते। जौन रस्किनने ठीक ही कहा है "मौज-शौकीका — वह वैयक्तिक हो या राष्ट्रीय — हमें बहुत महंगा मूल्य देना पड़ता है, क्योंकि अनु पर खर्च होनेवाला श्रम अखिल अपयोगी वस्तुओंके अुत्पादनमें लगनेवाले श्रमको कम करके ही तो पाया जाता है। लेकिन जब तक सब गरीबोंके रहने और खानेकी पूरी सुविधापूर्ण व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक किसी राष्ट्रको मौज-शौक आदिके सेवनका अधिकार नहीं हो सकता।"

(अंग्रेजीसे)

अन० आर० बालकृष्णन्

महादेवभाओीकी डायरी

संपा० नरहरि पटेल	
अन० रामनारायण चौधरी	
पहला भाग: की० ५-०-०	डाकखर्च ०-१४-०
दूसरा भाग: की० ५-०-०	डाकखर्च ०-१४-०
तीसरा भाग: की० ६-०-०	डाकखर्च १-१-०
नवजीवन प्रकाशन मंदिर,	अहमदाबाद - १

हरिजनसेवक

२६ सितम्बर

१९५३

भूमिदान और सत्याग्रह

भूमिदान आन्दोलनका एक गुण यह है कि असुके जरिये जमींदारोंसे बिना मुआवजेके जमीन मिलती है। यह चीज समाजवादी विचारधाराके लोगोंको खास तौर पर पसन्द है। समाजवादी पक्ष यह चाहता और मानता है कि बेजमीनोंको बिना मुआवजेके जमीन मिलनी चाहिये। क्योंकि मुआवजा देना पड़े तब तो बेजमीनोंके लिये जमीन पाना असंभव होगा। परंतु यिसके साथ यिस विचारके लोगोंमें एक ऐसी अश्रद्धा और डर भी रहता है कि यिस प्रकार मांगनेसे अगर पूरी जमीन न मिले तो क्या होगा? वैसी स्थितिमें बिना मुआवजा दिये जमीन लेनेके लिये क्या करना होगा? यह प्रश्न कितने ही लोगोंके मनमें उठता रहता है।

बिना मुआवजेके जमीन लेना हो तो वह किस तरह ली जाय — यिसका एक अस्पष्ट अन्तर मन ही मनमें यह दिया जाता रहा है कि ऐसा होगा तो सत्याग्रह किया जायगा। यिस तरहका अपाय लेनेकी बात श्री विनोबाके कुछ भाषणोंमें से भी अद्वृत्त करके बताई जाती है। परंतु वह सत्याग्रह कैसा होगा? असुका कदम क्या होगा? — यिस बारेमें अभी तक किसी तरफसे कोअी स्पष्टता नहीं की गयी है। ऐसा लगता है कि पारडीमें समाजवादी पक्षने जो आन्दोलन शुरू किया है, असुके पीछे यही दृष्टि रही होगी। ऐसा माननेका कारण हमें मिलता है कि अगर मुआवजा न देकर केवल मांगनेसे जमीन न मिले, तो बिना मुआवजेके जमीन पानेका कोअी रास्ता पारडीके 'खेड़ सत्याग्रह' कहे जानेवाले कदमसे खोजा जा रहा है।

श्री जयप्रकाशनारायणने पारडी-आन्दोलनके बारेमें हालमें ही एक अखबारी बयान निकाला है। असुमें आन्दोलनके विषयमें सफाई पेश करते हुए वे कहते हैं: "यह आन्दोलन भूमिदानके साथ मुझे असंगत नहीं मालूम होता। बिनोबाजीने हमेशा कहा है कि किसी असामीको अपनी न्यायपूर्ण अधिकारकी जमीनसे हटना नहीं चाहिये। आज सामाजिक स्थिति ऐसी है कि कोअी अकेला कार्यकार खातेदारका सामना नहीं कर सकता, भले असुका पक्ष किंतु नहीं न्यायसंगत क्यों न हो। और जो बात अकेले लिये सच है, वह अनेकोंके लिये झूठ नहीं हो सकती।" यिसका अर्थ यह हुआ कि पारडी-आन्दोलनमें कभी लोग यिकट्ठे होकर न्यायतः जिसे अपनी जमीन मानते हैं, असु लेनेके लिये निकल पड़े हैं। लेकिन यह चीज भूदानके सिद्धान्तसे कैसे अुचित ठहराई जा सकती है या असु सिद्धान्तसे यिसका मेल कैसे बैठता है, यह समझमें नहीं आता।

भूमिदान आन्दोलनके बारेमें कुछ लोग पहलेसे ही ऐसी शिकायत करते रहे हैं कि यिस आन्दोलनका एक दोष यह है कि असुकी सफलताका आधार जमीन-मालिकोंके जमीन देने पर है। बेजमीन लोग खुद जमीन पानेके लिये क्या कर सकते हैं, यह नहीं बताया जाता। यिस शिकायतका सादा अर्थ यह है कि बेजमीन लोगोंके सामने ऐसा कोअी कार्यक्रम रखा जा सकता है, जिसके बल पर बिना मुआवजेके अन्हें जमीन मिलने लगे? हम जानते हैं कि कुछ खास लोगोंकी ओरसे ऐसे कार्यक्रमकी मांग होतें रहीं हैं। असा मानना चाहिये कि पारडीके खेड़

सत्याग्रहका कार्यक्रम यिसी प्रकारका एक नुस्खा है। ऐसी हालतमें असुके संबंधमें कुछ सवाल पैदा होते हैं:—

१. खातेदारोंकी जमीन न्यायसे अनुकी नहीं, बल्कि काश्तकारोंकी मालिकीकी है — यह कैसे? सरकारी कानूनके मुताबिक तो वह काश्तकारोंकी नहीं है।

२. पारडीमें जो सत्याग्रह किया जा रहा है, वह क्या सरकारी कानूनके अनुसार खिलाफ है? अगर ऐसा हो तो असुमें क्या सुधार कराना है, यह कभी बताया नहीं गया है। यिससे मालूम होता है कि यह आन्दोलन सीधा सरकारके कानूनके खिलाफ नहीं है।

३. क्या यह सत्याग्रह खातेदारोंके खिलाफ है? क्या अनुके मनमें ऐसी बात जमीन देनेके लिये यह कदम अठाया गया है कि 'तुम हमें जमीन दे दो, वर्ना हम सब मिलकर असे छीन लेंगे?' मान लीजिये ऐसा ही हो, तो क्या यह भूमिदानका अहिंसक तरीका कहा जायगा? और यिस तरह ली जानेवाली जमीन अन सबमें से किसे मिलेगी? कौन असे अनुकी मालिकीकी बना देगा?

४. लेकिन ऐसा करनेसे जमीन मिल जायगी, यह तो शायद ही असु आन्दोलनके किसी नेताने माना होगा। ज्यादासे ज्यादा यिसमें अनुकी यह कल्पना रही हो कि यिस तरह यदि लोगोंको कफी अभाड़ा जा सके, तो ऐसी नवी स्थिति खड़ी हो सकती है, जिसकी वजहसे सरकार और खातेदारोंको यिस बारेमें कुछ विचार करना पड़े। क्या यह कल्पना अचित है?

५. अगर ऐसा हो तो यह सरकारका कानून अपने हाथमें ले लेनेकी बात हुआ। यिसे सत्याग्रह नहीं, बल्कि 'पेसिव्ह रेजिस्टर्स' जैसी परेशान करनेवाली या धांघली मचानेवाली चीज ही कहा जा सकता है। आज भारत स्वतंत्र है; लोकमतको तैयार करके सोचा हुआ काम पूरा किया जा सकता है। सरकार यदि न माने, तो असे बदला जा सकता है। सत्याग्रहका सिद्धान्त तो ऐसे ही कदम अठानेकी बात कहेगा। लेकिन आज तो सरकार भी भूमिदान और जमींदारी-अन्मूलनको पसन्द करती है, यिसलिये अंतिम अुग्र अपायकी जरूरत नहीं।

६. यितने पर भी अगर सत्याग्रह करना ही हो, तो ऐसे मैके पर असहयोगका रास्ता लिया जा सकता है। सफल असहयोगके लिये लोगोंमें अपने पांच पर खड़े रहनेकी शक्ति पैदा करनी चाहिये; यिसके लिये अनुके बीच व्यवस्थित रूपसे रचनात्मक कार्य किये जाने चाहिये। यिसके बाजाय खातेदारोंकी जमीनों पर धावा बोलना, अुपयोगी धास बरबाद करना वर्गार कदम रचनात्मक कार्योंकी जगह कैसे ले सकते हैं? और असे सत्याग्रह कैसे कहा जा सकता है?

७. या, यह प्रदर्शन पारडीके गरीब लोगोंकी द्यनीय दशा बतानेको किया गया है? लेकिन यह प्रदर्शन सत्याग्रह नहीं हो सकता। यह तो जैसे आज अुपयोगके हथियारका दुरुपयोग होता दिखाई देता है, असी तरह सत्याग्रहके हथियारका दुरुपयोग हुआ।

८. यिसलिये, अच्छा हो या न हो, यिस तरहका आन्दोलन वर्ग-विग्रहका रूप ले लेता है। समाजवादके शास्त्रमें वर्ग-विग्रह एक बुनियादी और अुपयोगी हथियार माना जाता है। पारडी-आन्दोलनके पीछे कहीं यह हेतु तो नहीं है?

ऐसे दूसरे भी कभी सवाल पैदा होते हैं। अनुका सार यही है कि पारडीका आन्दोलन गलत है। वह भूमिदान आन्दोलनके रास्ते नहीं चलता। तब सोचना यह है कि लोग क्या करें।

जिन्हें भूमिदानके शांतिपूर्ण मार्गमें श्रद्धा हों, अनुहं अंसे समय जोरोंसे अपना काम करना चाहिये। समाजवादी पक्ष यह रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते जाता है तो अुसकी मर्जी। वह अपना रास्ता अपनी जिम्मेदारी पर ले सकता है। फिर भी भूदानका काम करनेवाले दूसरे लोगोंको तो अपने सीधे शांतिपूर्ण मार्गसे ही काम करना चाहिये। खातेदार भी भूमिदान दें; समाजवादी पक्षकी गलतीको न देखते हुओ वे अपने धर्मका पालन करें। बेजमीन लोगोंको भी समझाना चाहिये कि वर्ग-विभ्रहके रास्ते जानेमें सुख नहीं है। अुस रास्ते जाना जरूरी भी नहीं है; अुसमें सत्याग्रह नहीं है। अनुहं यह चीज समझानेका कारण अुपाय भी भूमिदान आन्दोलनको श्रद्धासे आगे बढ़ाना ही है। गुजरातके भूमिदान आन्दोलनके कार्यकर्ताओंको भी पारडी-आन्दोलनके निमित्तसे भूदानके संबंधमें फिरसे अपनी नीति और श्रद्धा व्यक्त करके विस दुःख आन्दोलनको पुनः सही रास्ते पर लाना चाहिये।

१८-९-'५३
(गुजरातीसे)

मगनभाऊ देसाऊ

सरकारी कर्मचारियोंको राष्ट्रपतिका आदेश

[राष्ट्रपति-भवनमें, ता० २९ अगस्त, १९५३ को, खादीको ज्यादा लोकप्रिय बनानेके विषय पर विचार करनेके लिये केन्द्रीय सूरकारके मंत्रियों और अूपरी अधिकारियोंकी ओक अनुपचारिक बैठक हुयी थी। यह बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू, वाखिस प्रेसीडेंट डॉ० राधाकृष्णन् और अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डके सदस्य अपस्थित हुओ थे, राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसादके आदेश पर बुलायी गयी थी। बैठकमें भाषण करते हुओ राष्ट्रपतिने कहा:]

हम लोगोंमें से बहुतोंका खादीके साथ पिछले तीस-पंतीस सालोंसे संबंध रहा है। यहां जो लोग अुपस्थित हैं, अनुमें से कभीने विस काममें अपना बहुतसा समय और विचार लगाया है। मिलका कपड़ा खादीकी होड़ करता है, यह ओक कठिनाई तो है ही; दूसरी कठिनाई यह भी है कि जितनी खादी हमें चाहिये, अुतनी मात्रामें वह मिलती नहीं।

खादीकी आर्थिक अपयोगिताका आधार हमारे देशके जीवनकी कुछ बुनियादी परिस्थितियां हैं। हमें जानते ही हैं कि भारत कृषि-प्रधान देश है और हमारी जनताका कोभी ७०-८० प्रतिशत अपनी आजीविकाके लिये किसी-न-किसी रूपमें खेती पर निर्भर है। आप किसानका जीवन देखें, तो आपको मालूम होगा कि अुसकी खेती चाहे जितनी बड़ी या छोटी हो, अुसे और अुसके परिवारको अुसमें लगातार सालभर पूरा काम नहीं मिलता। लेकिन साथ ही कोभी दूसरा काम ढूँढ़नेके लिये वह अपनी जगह छोड़नेकी बात भी नहीं सोच सकता, क्योंकि खेतीके काममें अुसे बीच-बीचमें ध्यान देनेकी आवश्यकता होती है। किसान और अुसके परिवारके लोगोंको जो समय विस तरह बेकार जाता है, अुसका अपयोग खादी तैयार करनेमें कर लिया जाय, तो सारे देशके लिये आवश्यक पूरी खादी हमें मिल सकती है।

बुन्हें मेहनताना कम भिलेगा, यह बात सही है। लेकिन अुस पर किसीको कोभी शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि वह अुतके ओसे समयकी आय होगी, जब कि अनुहं जमीनसे कुछ नहीं मिलता। वह अपने अन्यथा बेकार जानेवाले समयमें कुछ तो कमायेगा, और आखिर यह 'कुछ' बिलकुल नगण्य भी नहीं होगा। क्योंकि अगर वह अपना फाजिल समय अुसमें लगाता है, तो अुसे फिर ओक गज भी कपड़ा खरीदनेकी जरूरत नहीं रह जाती। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभवके बल पर कह सकता हूँ कि प्रतिदिन ओक घंटा काता जाय, तो जो सूत पैदा होता है वह हमें अपनी जरूरतका सारा कपड़ा, यानी की आदमी १५-२० गज, पुरा सकता

है। अगर आप खादीके विस पहलूका ख्याल करें, तो अुसकी महंगाईका सवाल अुठेगा ही नहीं, क्योंकि वह लोगोंके फाजिल वक्तकी मेहनतका फल है। यह खादीका ओक बुनियादी पहलू है। लेकिन हम जानते हैं कि लोगोंमें काम करनेकी, मेहनत करनेकी रुचि नहीं होती। लेकिन अिन सारी कठिनायियोंके बावजूद मुझे लगता है कि खादीका प्रचार किया जा सकता है, जैसा कि भूतकालमें, जब गांधीजीने विस आन्दोलनको शुरू किया, किया गया था। अुस समय हम लोग सरकारमें नहीं थे और न सरकारसे किसी तरहकी मददकी अुम्मीद करते थे। तो भी देशमें ओक वर्ग औसा था, जो खादीको पकड़े रहा और अुसका अपयोग करता रहा। यह वर्ग देशमें आज भी मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि दूसरे वर्ग, जो अुस समय खादीके साथ नहीं थे, वे भी अब विस अपनायें और प्रोत्साहन दें। मुझे बड़ी खुशी है कि अर्थमत्रीने खादीको आर्थिक मदद देना मंजूर कर लिया है।

स्त्रियोंकी साड़ियां खादीमें बहुत महंगी पड़ेंगी, औसा ओक सवाल अुठाया गया है। मुझे लगता है कि यह सवाल बिलकुल अुठना ही नहीं चाहिये। क्या हमारी स्त्रियां सारा दिन अितनी ज्यादा व्यस्त रहती हैं कि दिनमें फुरसतका अुन्हें ओक घंटा भी नहीं मिलता? अगर वे अपने विस समयका अपयोग कातनेमें करें, तो अनुहं लगभग बिना किसी कीमतके अपनी साड़ी मिल सकती है। अलबत्ता कपासका दाम अुन्हें देना पड़ेगा, तो भी अुनकी यह साड़ी किसी दूसरी साड़ीसे सस्ती ही पड़ेगी। और अपने हाथ-कर्ते सूतकीं साड़ी जब वे पहनेंगी, तो अनुहं वह अवश्य अच्छी लगेगी। अम्याससे अुनकी कुशलता और बड़ेगी और अुनकी चपल अंगुलियां और ज्यादा अच्छा सूत निकालेंगी, क्योंकि वे अुसे अपनी ही साड़ीके लिये कातेंगी।

हम लोगोंमें से जिन्हें खादीके अुपादनका प्रत्यक्ष अनुभव है, वे जानते हैं कि जिन लोगोंके पास आमदनीका कोभी दूसरा जरिया नहीं है, अनुहं विससे कितनी राहत मिलती है। मुझे अुन दिनोंका स्मरण है, जब मैं खुद अुन खादी-केन्द्रोंमें जाया करता था, जहां सूत खरीदा जाता था और फटे कपड़े पहनकर गरीब स्त्रियां मीलों दूरसे अपना कता हुआ सूत बेचनेके लिये लाती थीं। अगर किसी कारणसे अुनका सूत खरीदनेसे अिन्कार कर दिया जाता, तो अुनके चेहरों पर अुदासी और निराशा छा जाती थी। यह देखकर दर्शकके मनमें यह विचार आये बिना नहीं रहता था कि खादी-काम हमारी जनताके गरीब वर्गके लिये कितना अपयोगी है। आज भी हमारे देशकी परिस्थितिमें औसा कोभी खास फर्क नहीं हो गया है कि गरीबोंको विस तरहकी राहतकी कोभी आवश्यकता न रह गयी हो।

अिसलिए मेरा अनुरोध है कि जब हम खादीकी बात सोचें, तो मिल-मालिक या मिल-मजदूरका नहीं; बल्कि गांवकी गरीब स्त्रीका ख्याल करें।

बेकारीका सवाल

बेकारीके सवालसे हम सब बहुत चिंतित हैं, और यह ठीक ही है। आप विस सवाल पर विचार करेंगे, तो आपको समझमें आयेगा कि खादीने कितना काम-धंधा पैदा किया था। अगर मैं भूल नहीं करता हूँ, तो मिलमें काम करनेवाला ओक आदमी, जो तकुबे चलाता है, २०० आदमियोंको बेकार बनाता है। जिसी तरह मिलमें करघों पर काम करनेवाला ओक आदमी हाथ-करघों पर काम करनेवाले १०-१२ बुनकरोंका काम कर देता है। विससे आप अनुमान कर सकते हैं मिल ओक दिनमें भी कितनी ज्यादा बेकारी बढ़ाती है।

मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि देशमें औद्योगिकरण नहीं होना चाहिये। वह ओक बड़ा सवाल है और अुसके गुण-दोषोंका विचार

करके अुस पर निर्णय किया जाना चाहिये। मैं तो आपके सामने एक हकीकत पेश कर रहा हूँ, जिससे कोवी विन्कार नहीं कर सकता और जिसका असर हमारे देशकी गरीब जनताके प्रतिदिनके जीवन पर हो रहा है। अिसलिये यह जल्दी है कि जब हम खादीकी बात सोचें, तब देशके एक बड़े वर्गमें फैली हुओ बेकारी और अर्थ-बेकारीका भी खायाल करें। सवालको अिस दृष्टिसे देखें तो मालूम होगा कि खादीको जो भी आर्थिक मदद दी जायगी, वह व्यर्थ नहीं जायगी। अगर आप अुसे यह मदद नहीं देते हैं, तो आपको जिन लोगोंके निर्वाहकों को भी दूसरा जरिया ढूँढ़ना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा यही है कि खादीको आर्थिक मदद देकर अुनका पोषण किया जाय।

हम लोगोंका अनुभव है कि जब भूकम्प या बाढ़ जैसी बड़ी विपत्तियां आ पड़ती हैं, तो विपत्तिग्रस्त अिलाकोंमें खादी-केन्द्र खोलनेसे लोगोंको बड़ी राहत मिलती है। बिहारमें अभी हालमें नदियोंकी बाढ़ोंसे जो नुकसान हुआ, अुसके सिलसिलेमें मेरे पास खादी-कार्यकर्ताओंकी तरफसे अिस तरहके तार आये हैं कि अन्हें अन्तके पास जो पैसा पड़ा हुआ है अुसका अुपयोग खादी-केन्द्र खोलनेके लिये करने दिया जाय।

खादी खरीदना दानमें दिये हुओं पैसे जैसा नहीं है। अुससे लाखों लोगोंको काम-धंधा मिलता है। खादी खरीदकर हम अपना पैसा व्यर्थ नहीं खर्च करते, अुसे सुन्दर वस्तुओंके निर्माणमें नियोजित करते हैं। हम वर्षोंसे शक्कर और लोहेके अद्योगोंको करोड़ों रुपयोंकी मदद देते आये हैं। अुसका हमने कभी कोवी विरोध नहीं किया। अन्हें अुसकी जरूरत थी। तो व्यं चाहता है कि खादीको भी मददके तौर पर कुछ दिया जाय, क्योंकि किसी दूसरे संघटित अद्योगकी अपेक्षा खादी अुसकी ज्यादा हकदार है।

कुछ सूचनाओं

मैं एकदो सूचनाओं करना चाहता हूँ। आप लोगोंमें से बहुतेरे सरकारी महकमोंके प्रमुख हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि सेना अपनी वरदीके लिये खादीका अुपयोग करने लगे, यह तो मैं पुलिससे भी नहीं कहता। एक तो हमारे पास आज जितनी खादी शायद होगी भी नहीं। लेकिन राष्ट्रपति-भवनमें तथा दूसरे सरकारी महकमोंमें खादीका अुपयोग न हो, अिसका मैं कोवी कारण नहीं देखता। स्पेट, नेपकिन आदि वे कपड़े, जिनका अुपयोग हम खाना खानेमें करते हैं, टावेल, परदे, डस्टर और अिस तरहकी अन्य बहुतसी चीजें, जिनका अुपयोग कार्यालयों या अस्पतालों आदिमें रोजाना होता है, खादीके हो सकते हैं। अिसलिये मैं सूचना करता हूँ कि सरकार पुलिस और सेनाको छोड़कर बाकी सारे विभागोंको हिदायत कर दे कि वे अपनी अिस तरहकी सारी चीजें खादी-भण्डारोंसे खरीदें। अगर बैसा किया गया, तो खादी-आन्दोलनको काफी बल मिलेगा। सिर्फ अिस कारण नहीं कि सरकार बहुतसी खादी खरीद लेगी, बल्कि अिसलिये भी कि आम लोगों पर अिस बातका अच्छा असर पड़ेगा। अगर बैसा किया जाय तो खादी बढ़ेगी और अुसकी बिक्रीका सवाल, जो कभी-कभी बहुत बड़ा बन जाता है, हल हो जायगा। और यह तो मैं कह सकता हूँ कि अगर खादीकी बिक्री निश्चित हो जाय, तो अुसके अुत्पादनमें कोवी कमी नहीं आयगी। अिसलिये जरूरत खादीके अुपयोगका प्रचार करनेकी है; जोर-जबरदस्तीसे नहीं, बल्कि खादी-अर्थशास्त्रके बुनियादी तथ्योंको समझकर और स्वेच्छापूर्वक सहयोग देकर।

मैं चाहता हूँ कि आप अुसे सिर्फ आर्थिक दृष्टिसे न देखें, बल्कि राष्ट्रकी आवश्यकता मानकर अुस पर विचार करें। खादी हमारी जनताके सबसे गरीब वर्गकी मदद करती है और लाखों लोगोंको काम देती है।

(अंग्रेजीसे)

भारंत किधर जा रहा है?

[जैन सेमूर बी० बी० सी०, लन्दन से किये गये अपने निम्नलिखित वायुप्रवचनमें आजकल अन्होंने भारतमें जो कुछ होता देखा अुसका वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे देशके भविष्यके विषयमें हमारे बीच भारी विवाद चल रहा है। विवाद अिस प्रश्न पर है कि हमें पश्चिमकी औद्योगिक क्रान्तिका अनुसरण करना चाहिये या गांधीजीके बताये हुओं मार्ग पर चलकर खादी और ग्रामोद्योगों पर अपनी अर्थ-रचना खड़ी करनी चाहिये? बेशक, हम आज पूर्व और पश्चिमकी विचार-धाराओंके चौराहे पर खड़े हैं, जहां हमें अिनमें से किसी बेको चुननेका फैसला करना है। अंत से अिनमें जिन मुद्दोंका हमें विचार करना चाहिये अनुके विषयमें हम सजग रहें, ताकि हम सही और विवेकपूर्ण निर्णय कर सकें। एक बाहरका व्यक्ति हमारे अिस प्रश्नको किस दृष्टिसे देखता है, अिसका सजीव वर्णन हमें अिस लेखमें मिलेगा।]

१०-८-५३

— म० प्र०]

दो तरहके कपड़ा-अद्योग

भारतसे मैं वापस आया, अुसके पहले मैंने कुछ दिन अुत्तर भारतके एक देशी राज्यमें विताये। वहांके राजाके हाथमें अब किसी तरहकी सत्ता नहीं रही और अुसे हर साल अिन्कम टैक्ससे मुक्त ५०,००० पौँडकी रकम मिलती है। फिर भी अुसकी मध्यकालीन राजधानीमें एक बड़ा किला और अनेक महल और आमोद-प्रमोदके बाग-बगीचे अपना प्रभुत्व जमाये हुओ हैं। लेकिन शहर पर अनुके अिस प्रभुत्वमें हिस्सा बंटानेके लिये वहां अेक नया किला खड़ा हो गया है। अिसमें शक नहीं कि जैसे-जैसे समय बीतेगा, यह किला अुसके अधिकाधिक हिस्से पर अधिकार करेगा। और यह किला वहांकी कपड़ा-मिल है।

सूती कपड़ेकी मिलमें गर्मी और नमी होती है। और गर्मीके दिनोंमें तो वहां भयकर गर्मी होती है। वहां एक ही तरहका आदमीको पागल बना देनेवाला अपार शोरगुल मचा रहता है, जो आम तौर पर अर्थहीन और आदमीको घबरा देनेवाला होता है।

अब कांग्रेस-सरकारने अिस शहरमें एक दूसरे प्रकारका कपड़ा-अद्योग खोला है — हाथ-करवा अद्योग। या कमसे कम अुसने हाथ-करवेके पुराने मृतप्राय अद्योगको फिरसे सजीव किया है। वहां एक स्कूल है, जिसमें हाथसे कपड़ा बनानेकी तालीम दी जाती है। अिसके अलावा, वहां दूसरे भी कभी अद्योग सिखाये जाते हैं, जिनमें बड़े यंत्रोंकी जरूरत नहीं पड़ती।

भारतमें सच्चा संघर्ष

अिस कपड़ा-मिल और गृह-अद्योगोंकी शालामें पहली बार घूम आनेके बाद मैं शालाके संचालकके घरमें दूसरे बाबे दर्जन लोगोंके साथ आकर बैठा और हमने स्वादिष्ट लस्सी पी। बादमें हमारी बातचीत अुस प्रश्न पर मुझी, जो मैं मानता हूँ कि आज भारतमें चल रहे सच्चे संघर्षकी जड़ है; लेकिन यह संघर्ष साम्यवाद और पश्चिमके ढंगकी लोकशाहीके बीच नहीं है।

बड़े अद्योग या गृह-अद्योग? शहरके कारखाने या ग्रामोद्योग? और अिस प्रश्नके जवाब पर दूसरे कभी प्रश्न निर्भर करते हैं: छोटे खेत या बड़े खेत? ड्रेक्टर या बैल? पशुओंके गोबरका खाद या कृत्रिम खाद? जंगी जहाज या आगोबोट? मेरी रायमें भारत आज दुनियाका सबसे दिलचस्प देश है, क्योंकि वही अेक देश है जहां अेसे प्रश्न पूछे जाते हैं।

कार्यक्रमता या आनन्द?

लस्सी पीते-पीते हमने सूती कपड़ेकी मिल और हाथ-करवेकी तुलना की। मिलके मैंनेजरने, जो हमारे साथ था, कहा कि मैं नहीं

समझ पाता कि हाथ-करधा अद्योग बड़ी-बड़ी मिलेंकी होड़में कैसे टिक सकेगा। भिलें हाथ-करधे से कहीं ज्यादा कार्यक्षम है।

अेक नवयुवकने, जो हाथ-करधा अद्योगकी शालामें शिक्षक था, पूछा : “कार्यक्षम किसके लिए ?”

भिल-मैनेजरने जवाब दिया : “बेशक, कपड़ा बनानेके लिए।”

लेकिन नवयुवकने कहा कि मैं अपने हाथ-करधे पर बड़ा सुन्दर कपड़ा बनाता हूं और अपनी जरूरतका हर तरहका कपड़ा बना सकता हूं।

भिल-मैनेजरने कहा : “लेकिन देखो, अगर तुम्हारे पास मशीन हो तो अेक घंटेमें तुम बूतना ही कपड़ा बना सकते हो, जितना कि आज हाथ-करधे पर दिनभरमें बनाते हो।”

विस पर शिक्षकने कहा : “ठीक है। लेकिन मैं हाथ-करधे पर काम करते हुओ बड़े आनन्दका अनुभव करता हूं। तब भला मैं हाथ-करधे पर भिलनेवाले विस आनन्दको क्यों छोड़ूँ ?”

मुझे लगा कि यहां मुझे कुछ कहना चाहिये, विसलिए मैं बोला, “लेकिन यह निश्चित है कि कोई भी आदमी काममें आनन्दका अनुभव नहीं करता।”

हाथ-करधे के शिक्षकने जवाब दिया : “अगर मुझे अपने काममें आनन्द नहीं आता तो मैं असे नहीं करता। मैं दूसरा कोओ आनन्दप्रद काम ढूँढ़ लेता। हम अपने जीवनका बहुत बड़ा हिस्सा काममें ही बिताते हैं। अगर यह काम आनन्दरहित हो, तो यही कहना होगा कि हम अपनी जिन्दगी बरबाद करते हैं।”

मैं मानता हूं कि स्टेलिनवादियों और अमरीकी ढांगके पूजी-वादके हिमायतियोंके बीच चलनेवाली चर्चके बनिस्वत भूरतके लोग अपने देशमें चल रहे विस बड़े विवादको ज्यादा महत्व देते हैं।

हाथ-करधा बुनकरके विचार रखनेवाले किसी आदमीकी निगाहमें अमरीकी जीवन-पद्धति और रूसी जीवन-पद्धतिमें दर-असल कोओ बड़ा फर्क नहीं है। वह तो अन दोनों जीवन-पद्धतियोंको गलत मानता है। वे दोनों ‘कार्यक्षमता’ को (मेरे शिक्षक-प्रियके शब्दोंमें) व्यक्तिके सुख और आनन्दसे ज्यादा महत्व देती हैं। हाथ-करधा बुनकरोंको मदद पहुंचानके लिए सरकारने कानून बनाकर भिल-मैनेजरको कपड़ेका अन्यादन काफी घटानेके लिए मजबूर कर दिया है। मैनेजर विसका विरोध करता है, क्योंकि वह जानता है कि भिलोंको पूरी छूट दी जाय, तो वे कुछ ही महीनोंमें भारतके हर हाथ-करधा बुनकरको भूखों मार सकती हैं। वह विसे अन्याय मानता है कि सरकार दो प्रतियोगियोंमें से अेकको नाजायज फायदा पहुंचानेके लिए दूसरेके काममें हस्तक्षेप करके अुसे मुसीबतमें डाले। वह समझ नहीं पाता कि भारतके अद्योगोंको अेक हाथ पीछे बांधकर पंग बना दिया जाय, तो वह कैसे प्रगति कर सकेगा और दुनियाकी होड़में कैसे टिक सकेगा। अुसका आदर्श भारतको पूर्वका अमेरिका बनानेका है; और वह जानता है कि जब तक भारतमें हाथ-करधे चालू रहेंगे, तब तक वह आदर्श सिद्ध नहीं हो सकता।

गांधीजीका प्रभाव

और संभावना’यही है कि हाथ-करधे भारतमें जिन्दे रहेंगे। भारत पर आज भी महात्मा गांधीका बहुत बड़ा प्रभाव है। कोओ अनके प्रभावसे बच नहीं सकता। गांधीका प्रभाव भारत पर आज जितना है, अन्तना कभी नहीं रहा और वह दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है।

अुस भिल-मैनेजरके प्रगति-संबंधी आदर्शोंके खिलाफ गांधी-प्रैस्ट प्रतिक्रियाका बल बढ़ता जाता है। बहुतसे भारतीय — या

यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि अधिकतर भारतीय — पश्चिमकी यंत्रोद्योग-प्रधान जीवन-पद्धतिसे प्रभावित नहीं हुए हैं। बेशक, वे गरीबी और अन्धकी कमीका अन्त देखना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं मानते कि बड़े कारखाने और बड़े पैमाने पर किया जाने-वाला अन्यादन जिस ध्येयको प्राप्त करनेके अन्तम साधन है। गांधीके अनुयायी, जिनमें भारतके बहुसंख्यक लोग शामिल हैं, मोटर-कार, जेट-प्लेन और अमरीकी नशीले पेय नहीं चाहते।

भारत-सरकारका रुख

राज्य-सरकारें कुल मिलाकर गांधीकी विचारधाराकी तरफ झकती हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार अेक साथ दो घोड़ों पर सवारी करनेकी अनोखी करामात दिखानेकी कोशिश कर रही है। अेक ओर वह बड़ी मिलें और कारखाने खोलनेके खातिर विदेशी पूजीको आकृष्ट करनेके लिए आकाश-पाताल अेक कर रही है, और दूसरी ओर ग्रामोद्योगोंको संरक्षण दे रही है। मुझे कहना चाहिये कि पंडित नेहरूका इकाव बड़े अद्योगोंकी तरफ है। बेशक, भारत जैसे भूखे और कंगाल देशमें वे बड़े अद्योगोंसे मिलनेवाले लाभोंको छोड़नेकी हिम्मत कर नहीं सकते हैं। दूसरी चीजोंके साथ सिचाओ और जल-विद्युतके लिए बांधे जानेवाले बांधोंके लिए बड़ी मशीनोंकी जरूरत है, जो आज भारतकी शकल ही बदल रहे हैं।

लेकिन गांधीकी आवाज कोओ अरण्यरोदन नहीं थी। गांधी भारतका नेतृत्व विसलिए कर सके कि भारत अनुके पीछे चलनेको तैयार था। भारतके हर कस्बे, शहर और बड़े गांवमें आपको खादी-केन्द्र मिलेगा। यह वह स्थान है, जहां लोगोंको कपाससे कपड़ा बनाना सिखाया जाता है। भारतके हर गांवमें आप देखेंगे कि वहांकी औरतोंको जब दूसरा कोओ काम नहीं होता, तब वे जमीन पर बैठकर चरखा कातती रहती हैं। छोटे-बड़े हर गांवमें बुन-करोंका घर जरूर होगा और पेड़ोंकी छांहमें आप अनुके कपड़ा बुनते देखेंगे।

खादीका धर्म

भारतके बहुत बड़ी संख्याके लिए खादी धर्म जैसी हो गयी है। महात्मा गांधीने अंग्रेजोंको परेशान करनेके लिए खादी शुरू नहीं की थी। स्वतंत्रताके बाद खादीका आन्दोलन भारतमें खूब बड़ा है। वहां बहुतसे लोग मिलके कपड़ेके बजाय अुसी दर्जेके हाथके कपड़ेके लिए ज्यादा दाम देनेको तैयार रहते हैं—बशर्ते मशीनसे बनी चीजेको कभी आदमीके हाथकी बनी चीजेके दर्जेकी माना जा सके। कांग्रेस पार्टीका अच्छा सदस्य — और देशकी पार्लियामेन्टमें कांग्रेसका भारी बहुमत है—मिलका कपड़ा पहननेकी कभी हिम्मत नहीं करता।

दूसरे शब्दोंमें, पश्चिम जिसे ‘कार्यक्षमता’ कहता है, अुसे भारतमें आज भी प्रगतिकी अेकमात्र कसीटीके रूपमें नहीं देखा जाता। आप हमेशा यह सवाल पूछा जाता सुनेंगे : ‘कार्यक्षमता किसके लिए ?’ अदाहरणके लिए, अेक आदमी भाप या बिजलीकी शक्तिसे चलनेवाले करधेके सामने आठ घंटे खड़ा रहे और बादमें कारखानोंकी गंदी चालोंमें या जिससे भी बदलर मजदूरोंकी गंदी बस्तीमें जाकर सो रहे, विससे क्या अुसे लाभ होगा ? क्या जिससे अुसकी मनुष्यतामें कमी नहीं आयेगी ? विसके बजाय क्या यह अच्छा नहीं होगा कि वह अपने घर ही अपनी सुविधासे अैसा कोओ काम करे, जिसमें अुसे आनन्द आये ? यह अेक अैसी बस्तु है, जिसका पश्चिमके कार्यक्षमताके विशेषज्ञ विचार नहीं करते।

भारतमें मैं जहां भी गया, वहां मैंने ग्रामवासियोंके जीवनको अन्नत बनानेके प्रयत्न होते देखे। वैसे तो यह काम गांधीकी पद्धतिसे ही किया जाता है, लेकिन अैसे लोगों द्वारा जो सिद्धान्तोंसे

थोड़ा समझीता करनेके लिये तैयार हैं और एक हृद तक मशीनोंका भी अपयोग कर लेना चाहते हैं।

मद्रास राज्यके कुछ गांवोंमें मैं गया था। सरकार अन गांवोंका विकास करनेके प्रयत्नमें लगी हुई है और वहाँ ग्रामोद्योगोंको प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन यिस काममें एक हृद तक आधुनिक मशीनोंकी मदद ली जाती है। एक नवी जल-विद्युतकी योजना पूरी हो जानेसे हालमें ही एक जिलेमें विजली आई है। वहाँ मैंने एक छोटासा बुनाई-केन्द्र देखा, जहाँ चार करघे विजलीसे चलाये जाते थे। जो युवक मुझे केन्द्रका परिचय करा रहा था, अुसने कहा कि यह केन्द्र एक छोटीसी सहकारी मंडली द्वारा चलाया जाता है, जिसके सदस्य समय मिलने पर यहाँ आते हैं और करघे चलते हैं। फसल कटनेके मौसममें यह छोटासा कारखाना बन्द रखा जाता है।

मनुष्य और मशीन

मैंने अुस युवकसे पूछा : “मशीनके अपयोगका गांधीके विचारोंसे कैसे भेल बैठता है?” अुसने कहा : “गांधीजी तो हमें पाश्चात्य देशोंकी जीवन-पद्धतिसे बचाना चाहते थे, जहाँ मनुष्य लगभग मशीन जैसे बन गये हैं। अगर हम अपने लोगोंको गांवमें ही रख सकें, तो हम गांधीजीकी कही बात ही करते हैं। यिसका कोई कारण नहीं है कि हम मशीनका अपयोग न करें। हमें ध्यान यिसी बातका रखना है कि हम कहीं मशीनोंके गुलाम न बन जायं या मशीनें हम पर हावी न हो जायं।”

आज भारत छोटी-छोटी सहकारी मंडलियोंका देश बन रहा है—खास करके अत्पादकोंकी सहकारी मंडलियोंका। ग्रामवासी ट्रेक्टर खरीदने या सारे सदस्योंके खेतोंमें सिचाओ एकोंके लिये मोटर-पंप खरीदने या छोटासा कारखाना खोलनेके लिये सहकारी मंडली बनाते हैं। गांवोंके ये छोटे-छोटे कारखाने खेलनेके गुब्बारोंसे लेकर ठीनकी पेटियों तककी अनेक चीजें थोक-बन्द बनाते हैं।

बड़े-बड़े अद्योगवालोंको — और अनुका बल बहुत बड़ा हुआ है—यिससे बिलकुल अलग ही प्रकारका भारत चाहिये। अनुका कहना है कि खेतीमें मशीनें दाखिल करनी चाहियें, ताकि गांवोंकी आवादीका बड़ा हिस्सा जमीनसे मुक्त होकर शहरोंमें जा सके। वहाँ जो नये-नये कारखाने सुलेंगे, अनुमें यिसका अपयोग कर लिया जायगा। दूसरे शब्दोंमें, अनुका यह भरत है कि भारतमें पाश्चात्य अर्थशास्त्रियोंकी औद्योगिक कान्ति होनी चाहिये।

लेकिन गांधीके अनुयायी अंसा नहीं चाहते। वे कहते हैं कि भारतमें अंग्रेज आये, अुससे पहले हमारे गांव पूरी तरह स्वावलम्बी थे। वे आज फिरसे गांवोंको स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। अबकी तंगीके बारेमें तो सुद गांधीजीने भी आवादीके नियंत्रणकी आवश्यकताको किसी हृद तक स्वीकार किया था। आज भारतके शहरों और गांवोंमें व्यापक रूपसे यिस आवश्यकताको महसूस किया जा रहा है। अगर किसी देशमें जीवन-निर्वाहके साधनोंकी मर्यादासे बाहर आवादीको बढ़ने दिया जाता है, तो वहाँ भूखका बोलबाला रहेगा ही—भले वहाँ बड़े कारखानोंकी अर्थव्यवस्था हो या ग्रामोद्योगोंकी।

गांधीके अनुयायी यिस बातको स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं कि परिचयकी दृष्टिसे ग्रामोद्योगों पर आधार रखनेवाली अर्थव्यवस्था बड़े अद्योगोंकी अर्थव्यवस्था जितनी कार्यक्षम नहीं होगी। लेकिन फिरसे वे पूछते हैं : ‘कार्यक्षम किसके लिये?’

[२ अगस्त, १९५३ के ‘लीडर’ से अद्यूत]
(अंग्रेजीसे)

केवल शैक्षणिक प्रचार काम नहीं देगा

मद्य-निषेधके संवंधमें मेरा काम ठेठ सन् १९९३ से शुरू हुआ, जब मैं पहले-पहल दक्षिण अफ्रीका गया। जब मैंने अपने ही लोगोंको, अपने ही देशबंधुओंको और स्त्रियोंको भी, जो हिन्दुस्तानमें तो सपनेमें भी कभी शराब पीनेका विचार नहीं कर सुकती थीं, शराब पीते देखा तो मैंने समझ लिया कि यह काम बड़ा कठिन है। ये पुरुष और स्त्रियां मद्य-निषेध पर कोओी भाषण सुननेको तैयार नहीं थे, व्यक्तिगत सलाहकी तो बात ही क्या कही जाय। मैंने यह भी देखा कि अनुमें से कुछ तो बिलकुल बेबस थे या वे अपनेको लाचार समझते थे। मैंने ऐसे कोई अपाय किये, जो कोओी सत्ताहीन व्यक्ति भरसक कर सकता है। लेकिन मैं यह दावा नहीं कर सकता कि अपने यिन प्रयत्नोंमें मुझे कोओी सफलता मिली।

ये लोग (हिन्दुस्तानी मजदूर), जो शराब पीतेके आदी हो गये हैं, अपनी यिस लतका बचाव नहीं करते—वे भी यिसे बुरी मानते हैं। वे यिससे लजिज्जत होते हैं। अगर आप अनुमें यिस बारेमें बात करें, तो वे कहेंगे कि हम लांचार हैं, हम अपढ़ मजदूर हैं। वे आपसे कोई तरहकी झूठी बातें कहेंगे और आपको घोखा देनेकी कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी यिस आदतसे वे शर्मिन्दा होते हैं। दूसरी तरफ, युरोपमें अगर आप मुझसे मिलने आयें और मैं आपका शराबसे स्वागत न करूँ, तो वह मेरी असम्मता कही जायगी। जब मैं अंगरेजियोंमें पढ़ता था, तब मुझे बड़ी कठिन परिस्थितिका सामना करना पड़ता था। क्योंकि मैं अपने दोस्तोंको शराब पिलाना बरदाशत नहीं कर सकता था। लेकिन हिन्दुस्तानमें ऐसी बात नहीं है। यिसलिये मेरा यह सुझाव है कि आपका यह कहना गलत होगा कि कानून बनानेके पहले लोगोंको शराब छोड़नेकी शिक्षा देनी चाहिये। केवल शिक्षासे यह बुराई कभी दूर नहीं हो सकती।

यिसलिये मैं आप लोगोंसे अनुरोध करूँगा कि आप संपूर्ण शराबबंदीके लिये जोरदार आन्दोलन करता अपना पवित्र कर्तव्य बना लें।

(‘यंग इंडिया’, १८-४-'२९)

मो० क० गांधी

विवेक और साधना

लेखक : केवारनाथ

संपादक

किशोरलाल मशखवाला : रमणीकलाल मोदी

कीमत ४-०-०

दाकखार्च १-२-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

विषय-सूची	पृष्ठ
सत्याग्रहकी मर्यादा	गांधीजी २३३
हिन्दू समाजको चेतावनी	मगनभाई देसाई २३३
खादीका अपयोग — एक राष्ट्रीय कर्तव्य	वैकुण्ठलाल महेता २३४
गरीबी और मीज-शौक	अनेन आर० बालकृष्णन् २३५
भूमिदान और सत्याग्रह	मगनभाई देसाई २३६
सरकारी कर्मचारियोंको राष्ट्रपतिका अदेश	२३७
भारत किधर जा रहा है?	जॉन सेमूर २३८
केवल शैक्षणिक प्रचार काम नहीं देगा	गांधीजी २४०